



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122021-231661
CG-DL-E-07122021-231661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943

No. 4614]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

रेल मंत्रालय
(उत्तर रेलवे)
(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4985(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989, 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 20एफ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कालम (2) के उद्धृत अधिकारी को कालम (3) में वर्णित राज्यों में कार्य निष्पादन, अनुसंधान, प्रबंधन तथा आपरेशन के लिए तालिका के कालम (4) में दिए गए अनुसार रेलवे परियोजना से संबंधित मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत किया है।

क्रम.सं.	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेल परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	आयुक्त, अम्बाला मंडल, अंबाला	हरियाणा	चंडीगढ़ बरदी ब्रोडगेज नई रेललाईन परियोजना के लिए हरियाणा प्रदेश पंचकूला जिले में 47.36 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण

[फा. सं. 190-W/153-A/भूमि]

ए.के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(Northern Railway)
(CONSTRUCTION ORGANISATION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2021

S.O. 4985(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railway Act, 1989 amended through Bill No. 19 of 2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in Column (2) of the table below to perform the functions of the “Arbitrator” in respect of Railway project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of said Table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Competent Authority	State	Name of Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Commissioner, Ambala Division, Ambala	Haryana	Acquisition of 47.36 hectare land in Panchkula District of Haryana State, in connection with Chandigarh-Baddi New Broad gauge Rail Line Project.

[F. No. 190-W/153-A/Land]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (Construction)